क्रम संख्या–29 (ड) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 ई0

फाल्गुन 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 13/XLII–1/2024–05(19)2011

देहरादून, 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–38

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2024

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति	2.		उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' एवं "ख" के पद सम्मिलित हैं।
परिभाषायें	3		जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–
		(क)	'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है;
		(ख)	'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
		(ग)	'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
		(घ)	'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
		(ङ)	'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(च)	'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
		(छ)	'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
		(ज)	'सेवा' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा अभिप्रेत है;
		(झ)	'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
		(ञ)	'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग	4.	(1)	सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।
		(2)	जब तक कि नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाय, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी हैं; परन्तु यह कि–
		(क)	नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए रख सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
		(ख)	राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते है जैसा कि वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत	5.	सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी; अर्थात्–

(एक) सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा/उप सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)–
शत प्रतिशत लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा/सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) –
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा/उप सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 (सात) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) संयुक्त निदेशक–
मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा/सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(चार) निदेशक–
मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 (पाँच) वर्ष की सेवा तथा संस्कृत शिक्षा सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) में कुल 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता–प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8 सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए:–

अनिवार्य अर्हता

सहायक निदेशक–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष।

(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री/बी0एड0 उपाधि।

अधिमानी अर्हता 9. अभ्यर्थी जिसने:–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) खेल प्रतियोगिता में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये जाते है उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणीः— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो।

परन्तु यह कि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए जाने से पूर्व—

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिह्नित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिह्नित श्रेणियों में दिव्यांगजनों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जाएगा।

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम—6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार विभागीय अधियाचन प्राप्त होने के उपरान्त यथा विहित प्रक्रिया/प्रावधानों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया सम्पादित करेगा।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16. (1) निदेशक, संस्कृत शिक्षा के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः—

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी, जो अपर सचिव से अन्यून स्तर का हो — सदस्य

(ङ) अपर सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य सचिव

(2) उपनिदेशक, संस्कृत शिक्षा/सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) तथा संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर सचिव अन्यून स्तर का हो — सदस्य

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी, जो अपर सचिव से अन्यून स्तर का हो — सदस्य

(घ) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड — सदस्य सचिव

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम/ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(4) चयन समिति द्वारा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग 5—नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 एवं 16 यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित

व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर उस कम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा 18. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक्–पृथक् मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढ़ाई जाय;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किए गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा 19. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गये सभी अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। पदोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से सरकार ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी अपेक्षा कर सकती है, जो वह समीचीन समझे।

स्थायीकरण 20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

21. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कार्मिक की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित), नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

भाग 6—वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट "क" पर दिये गये हैं।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्वि के लिए नही गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी' सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाऐगा।

भाग 7–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्ति ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तो का शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में सेवाशर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में विभागीय हित में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

[नियम 4 का उपनियम (2) और 22 (2) देखें]

क0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन लेवल	वेतनमान
1	निदेशक	1	13	118600—214100
2	संयुक्त निदेशक	1	12	78800—209200
3	उप निदेशक	1	11	67700—208700
	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद)	1		
4	सहायक निदेशक	13	10	56100—177500
	उप सचिव (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद)	1		
	कुल पदों की संख्या —	18		

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव।